न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी उदयपुर
पीठासीन अधिकारी :– एल. एन. मंत्री, आर॰ए॰एस॰

प्रकरण संख्या 33/2018 (उदयपुर डिक्री)

किशनसिंह पिता श्री लक्ष्मणसिह राजपूत, निवासी बेदला खुर्द, तहसील बड़गांव, जिला उदयपुर (राज.)

..... अपीलान्ट

बनाम

1. प्रकाशचन्द्र दोशी पिता श्री शिवलाल दोशी, निवासी भट्ट जी की बाड़ी, उदयपुर (राज.)
2. रमेशचन्द्र पिता श्री पृथ्वीराज मारू, निवासी 53, महावीर नगर, सेक्टर नंबर 4, उदयपुर (राज.)
3. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार, बड़गांव, जिला उदयपुर (राज.)

.....रेस्पोन्डेन्टगण

अपील अन्तर्गत धारा–223 रा. का. अ.
1955 विरूद्ध निर्णय व डिक्री सहायक
कलक्टर (फास्ट ट्रेक), गिर्वा दिनांक
30.01.2018, प्रकरण संख्या 50/2015

———/———

उपस्थित (वक्त बहस) 1. श्री शरद दशोरा अभिभाषक अपीलान्ट
2. श्री कैलाश नागदा अभि. रे. सं. 1 व 2
3. श्री पंकज भटनागर राजकीय अभिभाषक

———:::———

निर्णय **दिनांक 28–08–2018**

प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अधिनस्थ न्यायालय में रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 व 2 द्वारा अपीलान्ट व सरकार के विरूद्ध एक वाद अन्तर्गत धारा 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि राजस्व ग्राम बेदला खुर्द में वाद पत्र की कलम संख्या 1 में वर्णित आराजी नंबर 600 व 601 कुल किता 2 रकबा 0.2900 हैक्टर भूमि स्थित है, जिसमें पूर्व में 1/4, 1/4 हिस्सा, शम्भूसिंह, सोमनाथसिंह एवं विजयसिंह के नाम दर्ज था, जिसमें से शम्भूसिंह व सोमनाथसिंह ने अपना

1/4, 1/4 हिस्सा रजिस्टर्ड विक्रय पत्र से वादी संख्या 1 को तथा विजयसिंह ने अपना 1/4 हिस्सा रजिस्टर्ड विक्रय पत्र से वादी संख्या 2 विक्रय कर कब्जा सिपुर्द कर दिया, तब से वादीगण उक्त क्रय शुदा भूमि के मालिक होकर काबिज चले आ रहे हैं। अतएवं उक्त भूमियों का विभाजन किया जाकर वादी संख्या 1 को 1/2 व वादी संख्या 2 का 1/4 हिस्सा रखते हुए इसी अनुसार लगान का भी बंटवाड़ा किया जावे तथा स्थाई निषेधाज्ञा भी दिलायी जावे।

प्रकरण में प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा खण्डन का जवाबदावा प्रस्तुत किया गया तथा निवेदन किया कि उसके भाई शम्भूसिंह व सोमनाथसिंह ने अपने हिस्से का परित्याग प्रतिवादी संख्या 1 के पक्ष में कर स्वेच्छा से कब्जा सिपुर्द कर दिया, जिससे उन्हें विक्रय का अधिकार नहीं था। प्रतिवादी संख्या 1 के भाईयों द्वारा कोई विक्रय नहीं किया गया है तथा कब्जा प्रतिवादी संख्या 1 का चला आ रहा है। भूमियां वादीगण की सहखातेदारी, आधिपत्य एवं कब्जे की होना स्वीकार नहीं है। विवादित भूमियों पर लम्बे समय से प्रतिवादी संख्या 1 काबिज है। अतएवं वादीगण का वाद खारिज किया जावे।

अधिनस्थ न्यायालय ने प्लीडिंग्स के आधार पर प्रकरण में निम्नानुसार 4 तनकियात कायम की :–

1. आया वादी वाद की कलम संख्या 1 में वर्णित आराजियात का वादी मीट्स एण्ड बाउण्ड्स के आधार पर बंटवाड़ा कराने का अधिकारी है ? ..... वादी
2. आया वादी प्रतिवादी के विरूद्ध स्थायी निषेधाज्ञा प्राप्त करने का अधिकारी है ? ..... वादी
3. आया वाद की कलम संख्या 1 में वर्णित भूमि स्वेच्छा हक त्याग कर दिया तथा कब्जा भी प्रतिवादी एक का ही है। अतः वादी बंटवाड़ा कराने का अधिकारी नहीं है ? ..... प्रतिवादी संख्या 1
4. अनुतोष ?

प्रकरण में वादी की ओर से साक्ष्य में रमेशचन्द्र के बयान होकर प्रतिवादी की जिरह हुई। इसी प्रकार वादी प्रकाशचन्द्र के बयान होकर भी प्रतिवादी की जिरह हुई। इसके बाद दिनांक 19–10–2016 को वादी की साक्ष्य बन्द की गयी एवं आगामी तारीख पेशी दिनांक 28–11–2016 को

अवकाश होने से पत्रावली 19–12–2016, 23–01–2017 एवं दिनांक 20–02–2017 को प्रतिवादी को साक्ष्य का अवसर दिया गया तथा प्रतिवादी किशनसिंह का शपथ पत्र भी प्रस्तुत हुआ। प्रकरण दिनांक 05–07–2017 को लोक अदालत में रखा गया, परन्तु प्रकरण साक्ष्य प्रतिवादी में होने के कारण प्रकरण साक्ष्य में रखा गया एवं प्रतिवादी की साक्ष्य हेतु दिनांक 28–11–2016 से लेकर दिनांक 17–08–2017 तक कुल 11 अवसर दिये गये एवं दिनांक 10–10–2017 को प्रतिवादी के अधिवक्ता ने प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर प्रतिवादी की तबियत खराब होना बताया, परन्तु कोई चिकित्सा प्रमाण पत्र साक्ष्य में प्रस्तुत नहीं करने के कारण अधिनस्थ न्यायालय द्वारा प्रतिवादी की साक्ष्य बन्द कर दी गयी तथा इसके बाद दिनांक 23–11–2011, 04–01–2018, 25–01–2018 की तारीख पेशी रखी गयी। दिनांक 30–01–2018 को वादी के अधिवक्ता उपस्थित हुए, प्रतिवादी व उनके अधिवक्ता अनुपस्थित रहे। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण में वादी की साक्ष्य के आधार पर प्रकरण में प्रारम्भिक डिक्री जारी की।

अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित उक्त निर्णय व प्रारम्भिक डिक्री दिनांक 30–01–2018 से रूष्ट होकर प्रतिवादी/अपीलान्ट द्वारा इस न्यायालय में यह अपील दिनांक 02–04–2018 को प्रस्तुत की गयी है।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोन्डेन्टगण को तलब किया जाने पर रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 व 2 की ओर से वकील श्री कैलाश नागदा उपस्थित हुए। रेस्पोन्डेन्ट संख्या 3 की ओर से औपचारिक पक्षकार राजकीय अधिवक्ता श्री पंकज भटनागर उपस्थित हुए। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की जाकर उभयपक्ष की बहस सुनी गयी।

दौराने बहस अभिभाषक अपीलान्ट ने अपील मीमों में वर्णित तथ्यों को पुनः दोहराया तथा अधिनस्थ न्यायालय के निर्णय को त्रुटि पूर्ण बताते हुए अपास्त करने की प्रार्थना की। वहीं वकील रेस्पोन्डेन्ट ने अधिनस्थ न्यायालय के निर्णय को सही बताते हुए अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज करने की प्रार्थना की।

अपीलान्ट ने प्रमुख रूप से यह उजर लिया कि अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय न्याय एवं कानून के विपरीत है। रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 व 2 द्वारा अपीलान्ट के भाई शम्भूसिंह व सोमनाथसिंह जिनके द्वारा वाद से संबंधित

भूमि में अपने भाग का परित्याग अपीलान्ट के हक में कर मौके पर स्वेच्छा से कब्जा सिपुर्द कर दिया गया था, इसके बाद उक्त भूमि के विक्रेता शम्भूसिंह व सोमनाथसिंह के कोई अधिकार शेष नहीं रहे। विवादित भूमि पर रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 व 2 का कभी भी कब्जा नहीं रहा तथा सारी भूमि पर कब्जा अपीलान्ट का है। अपीलान्ट को अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष साक्ष्य प्रस्तुत करने का अवसर नहीं मिला है, जबकि उनके अधिवक्ता द्वारा अपीलान्ट की बीमारी हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया था। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा प्रतिवादी को बिना साक्ष्य दिये दिनांक 10–10–2017 को साक्ष्य बन्द कर दी तथा इसके बाद लगातार तीन पेशियों पर पीठासीन अधिकारी अवकाश एवं राजकार्य में व्यस्त रहे, जिससे प्रकरण में कोई कार्यवाही नहीं हुई। दिनांक 30–01–2018 को 2 बजे तक पीठासीन अधिकारी न्यायालय में उपस्थित नहीं थे तथा पेशकार ने अपीलान्ट के अधिवक्ता को अगले दिन आकर पेशी नोट करने को कहा, जिस पर विश्वास कर अपीलान्ट के अधिवक्ता चले गये एवं दूसरे दिन आकर अगली पेशी दिनांक 06–03–2018 की नोट की, जिस पर प्रार्थना पत्र के साथ ईलाज के दस्तावेज प्रस्तुत कर साक्ष्य हेतु अवसर प्रदान करने का निवेदन किया। दिनांक 27–02–2018 पटवारी बेदला द्वारा मौके की रिपोर्ट हेतु उपस्थित होने के नोटिस पर हस्ताखर करने हेतु भिजवाया गया, जिस पर अपीलान्ट के पुत्र ने ईलाज हेतु बाहर जाना बताकर हस्ताक्षर किये, तब उक्त एकतरफा प्रारम्भिक डिक्री की जानकारी प्राप्त हुई। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा युक्ति युक्त बीमारी को नहीं मानकर उसकी साक्ष्य बन्द करने में त्रुटि की है, जिससे अपीलान्ट के प्रकरण का गुणावगुण पर निस्तारण किये जाने का हनन हुआ है। अतएवं प्रकरण का गुणावगुण पर निर्णय किया जावे।

→ हमारे द्वारा अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली व रेकार्ड का अवलोकन किया गया तो यह पाया कि प्रकरण में अपीलान्ट/प्रतिवादी द्वारा उसके तथा उसके तीन भाईयों की शामलाती में दर्ज भूमि में से उसके 2 भाईयों शम्भूसिंह व सोमनाथसिंह द्वारा उसके हक में अपने–अपने हिस्से का परित्याग कर स्वेच्छा से कब्जा देने का कथन किया है, परन्तु इस बाबत् उसके द्वारा कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की गयी है। विधि अनुसार परित्याग सहखातेदारी की भूमि का किसी एक पक्षकार के पक्ष में किये जाने हेतु बिना हकत्याग विलेख के संभव नहीं है। प्रकरण में यह भी सुस्पष्ट है कि

अधिनस्थ न्यायालय द्वारा प्रतिवादी की साक्ष्य के लिए करीब 1 वर्ष तक 11 अवसर दिये गये हैं। अपीलान्ट/प्रतिवादी द्वारा अधिनस्थ न्यायालय एवं इस न्यायालय में भी किसी प्रकार की अपीलान्ट की रूग्णावस्था बाबत् कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की गयी है। वैसे भी दिनांक 10–10–2017 को जब प्रतिवादी की साक्ष्य बन्द की गयी तो वह आदेश रिवीजन योग्य था, जिसके लिए 3 माह में दिनांक 25–01–2018 तक कोई रिवीजन प्रस्तुत नहीं किया गया है तथा दिनांक 30–01–2018 को नियत तिथि पर अपीलान्ट/प्रतिवादी तथा उसके अधिवक्ता भी अनुपस्थित रहे। इन परिस्थितियों में अधिनस्थ न्यायालय द्वारा प्रतिवादी/अपीलान्ट की साक्ष्य बन्द कर उनकी अनुपस्थिति में रेकार्डेड सहखातेदारों के मध्य विभाजन की जो प्रारम्भिक डिक्री जारी की गयी है, उसमें हम प्रथम दृष्टया किसी प्रकार की तथ्यात्मक अथवा विधिक त्रुटि नहीं पाते हैं। गुणावगुण पर भी यदि विचार किया जाये तो चार भाईयों की भूमि में से दो भाईयों द्वारा अपीलान्ट/प्रतिवादी द्वारा हकत्याग होना बताया है, जबकि इस बाबत् कोई भी विधिक दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किये हैं तथा एक अन्य भाई विजयसिंह के क्रेता वादी संख्या 2 बाबत् तो कोई विवेचन हीं नहीं किया गया है। प्रकरण में हम सारभूत रूप से प्रतिवादी/ अपीलान्ट द्वारा बिना किसी आधार के अपने भाईयों द्वारा भूमि का रजिस्टर्ड विक्रय किये जाने के बाद दो भाईयों द्वारा उसके पक्ष में परित्याग होना बताया है, जबकि इस बाबत् कोई भी विधिक साक्ष्य उनके द्वारा प्रस्तुत नहीं की गयी है। ऐसी स्थिति में अधिनस्थ न्यायालय द्वारा रेकार्डेड सहखातेदारों के मध्य विभाजन की जो प्रारम्भिक डिक्री जारी की गयी है, उसमें हम प्रथम दृष्टया किसी प्रकार की तथ्यात्मक अथवा विधिक त्रुटि नहीं पाते हैं।

अतएवं अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री दिनांक 30–01–2018 यथावत रखी जाती है। तद्नुसार डिक्री पर्चा जारी हो। पत्रावली बाद पूर्ण प्रविष्टि नंबर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली लौटाई जावे। निर्णय आज दिनांक 28–08–2018 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(एल.एन. मंत्री)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

डिगरी व सीगे अपील

(ओ.41, रूल 35, जाब्ता दीवानी)

(Civil Procedure Code Appendix 'G'-9)

अज अदालत.....**भू.प्र.अ. एवं पदेन रा.अ.अ.**.....मुकाम.....**उदयपुर**.....
व इजलास .....**एल. एन. मंत्री, आर.ए.एस.** .....

किशनसिंह पिता लक्ष्मणसिंह राजपूत, निवासी बेदला खुर्द, तहसील बड़गांव, जिला उदयपुर बनाम **प्रकाशचन्द्र पिता शिवलाल दोशी, निवासी 15, भट्ट जी की बाड़ी, उदयपुर व अन्य**

अपील नं.....**33/2018**.....व नाराजगी डिगरी अदालत....**सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक)** .....**गिर्वा**..... मुकाम.....मुवर्खे.....**30**.....माह.....**01**.....**2018**

दावा बाबत

यह अपील व तारीख.....**28**....माह.....**08**.....सन् **2018** रूबरू.....**पक्षकारान** व हाजरी.....**श्री शरद दशोरा**.....मिनजानिब अपीलान्ट व .....**श्री कैलाश नागदा**

.....रेस्पोन्डेन्ट समाअत के लिए पेश होकर हुक्म हुआ कि..... **अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री दिनांक 30–01–2018 यथावत रखी जाती है।**

(खर्चा अपील हाजा का हस्ब तफसील जेल तादादी मुवलिग.....**X**.....).....रूपये .... **X**..... अदा करें, खर्चा मुकदमा मातहत का..... **X** .....अदा करें।

मेरे हस्ताक्षर व मुहर अदालत आज तारीख.....**28**.....माह.....**08**.....**2018** को जारी किया गया।

(एल.एन. मंत्री)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

खर्चा अपील

अपीलान्ट	रू0	पै0	रेस्पोन्डेन्ट	रू0	पै0
1. स्टाम्प अपील ... . 2. स्टाम्प वकालत नामा ..... 3. इजराय हुक्मनामा ..... 4. वकील फीस बाबत ..... मीजान			1. स्टाम्प वकालत नामा... 2. स्टाम्प अर्जी ..... 3. इजराय हुक्मनामा ..... 4. मेहनताना वकील..... मीजान		

नोटः– इस खर्चे के फार्म पर फरीकेन का कुल खर्चा अपील का, चाहे डिगरी के जरिये दिलाया गया हो।